

अंचल अधिकारी का न्यायालय, हाटगमहरिया।

पक्ष

केस नं० 09/2020-21

विपक्ष

सुमन बागवाड़ी


मधुसूदन बागवाड़ी


पिता स्व. रामधन बागवाड़ी

प्राय- बुद्धवाहनगौड़ी

बनाम

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13.07.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदन सुमन बागवाड़ी, पिता स्व. रामधन बागवाड़ी, प्राय- बुद्धवाहनगौड़ी ने शौजा-वाहनगौड़ी आना नं०- 556, खाना नं०- 02, लॉट नं० 162 न पर आवेदन तरीके से जमीन वंदोवती के संबंध में शिकायत कर हैत आवेदन पर किया जाहे</p> <p>इसके आलेख में अधीक्षकरी के कार्यालय (हल्का कर्मचारी) जौच प्रतिवेदन सुपूरु किया है गया के द्वारा</p> <p>हल्का कर्मचारी के जौच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त अंचल-न्यायालय में दोनों पक्ष-विपक्ष को उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया दिनांक 21.7.2020 के उपस्थित की निर्धारित किया।</p>	
24.7.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। निर्धारित तिथि को नोटिस किया गया सभी पक्ष-विपक्ष एवं शौजा/कर्मचारी, हल्का कर्मचारी को उपस्थित हेतु। हल्का कर्मचारी के कार्यालय में तथा अधीक्षकरी पक्ष-विपक्ष को अपना-आपना रखने हेतु नैसर्गिक शौजा को समझया गया कि पूर्व में जिस प्रकार धूसर आवेदन कर रहे है उसे प्रकार ही किया जाएगा इस कसब से हुना-सुपूरु ही को अपना सुपूरु स्व. वंदोवती किया गया वसकेपश्चात इस आशयके अलेख के निष्पादन को बंद किया जाना है।</p>	


 अंचल अधिकारी
 हाटगमहरिया।


 अंचल अधिकारी
 हाटगमहरिया।